

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

शिवकेन्द्र बिहारी शर्मा बनाम कृष्ण मुरारी शर्मा आदि
किस्म मुकदमा नं. 95/प्रारम्भ 2024 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	--

28/10/24 वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act द्वारा वकील श्री अशोक आश्रावत पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक 4.2.2025 को पेश हो।

4-2-25 पत्रावली पेश हुई। अभियाचकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दिनांक 21.4.25 को पेश हो।

21.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठसीन अधिकारी निलेय चौरे/अवकाश/अन्य सम्बन्ध से तारीफ रखते हैं। पत्रावली दि 6-8-25 को पेश हो।

6.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठसीन अधिकारी निलेय चौरे/अवकाश/अन्य सम्बन्ध से तारीफ रखते हैं। पत्रावली दि 17.12.25 को पेश हो।

17/12/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तथा प्रार्थी वकील उभर/प्रार्थी व उनके अभिभाषक द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य साक्षीनामा हो जाने से प्रारम्भ आगे नहीं चलाकर Note पास दिए जाने का निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया जाना है। प्रार्थी व प्रार्थी वकील द्वारा उभर आश्रय का अंश प्रिया जात्र हस्ताक्षर दिए गए। फावली Note पास होने से आगे चलाना न्यायोचित नहीं है। अतः पत्रावली खारिज की जाती है। फावली केवल उभर कोबर नम्बर से उभर से उभर दाखिल इम्बर हो।

प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोबर नम्बर से उभर दाखिल इम्बर हो। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोबर नम्बर से उभर दाखिल इम्बर हो। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोबर नम्बर से उभर दाखिल इम्बर हो।